

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 जून 2010—ज्येष्ठ 13, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जून 2010

क्र. २५३६-२२७-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 मई 2010 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०१०

मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता ) संशोधन अधिनियम, २०१०.

[दिनांक २९ मई, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३ जून, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०१० है.

संक्षिप्त नाम और  
प्रारंभ.

(२) यह २६ मार्च, २०१० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

२. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा ३ का  
प्रतिस्थापन.

"३ मुख्यमंत्री को तीस हजार रुपये, प्रत्येक मंत्री को सत्ताईस हजार रुपये, राज्य मंत्री को पच्चीस हजार रुपये तथा उप मंत्री एवं संसदीय सचिव को बीस हजार रुपये, प्रतिमास वेतन दिया जाएगा."

मंत्रियों, राज्य  
मंत्रियों, उप मंत्रियों  
तथा संसदीय  
सचिवों के वेतन.

धारा ४ का प्रतिस्थापन. सत्कार भत्ता, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता तथा दैनिक भत्ता.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

- “४ (१) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को अठारह हजार रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता दिया जाएगा.
- (२) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को सत्रह हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.
- (३) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान राज्य के भीतर सात सौ पचास रुपये तथा राज्य के बाहर नौ सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा.”

भोपाल, दिनांक 3 जून 2010

क्र. २५३७-२२७-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०१० (क्रमांक १९ सन् २०१०) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 19 OF 2010.

### THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 29th May 2010; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 3rd June 2010.]

An Act Further to amend the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1.(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force from the 26th day of March, 2010.

Substitution of Section 3.

2. For Section 3 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following section shall be substituted, namely :—

Salaries of Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries.

“ 3. There shall be paid a salary per mensem of rupees thirty thousand to the Chief Minister, rupees twenty seven thousand to each Minister, rupees twenty five thousand to Minister of State, rupees twenty thousand to Deputy Minister and Parliamentary Secretary.”

Substitution of Section 4.

3. For Section 4 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Sumptuary allowance, constituency allowance and daily allowance.

“4. (1) There shall be paid to the Chief Minister, each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a sumptuary allowance of eighteen thousand rupees per mensem.

(2) There shall be paid to the Chief Minister, each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a constituency allowance of seventeen thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to the Chief Minister, each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a daily allowance of seven hundred and fifty rupees within the State and nine hundred rupees outside the State per day during the term of office.”